भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *326

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की खरीद

***326. श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत चावल की खरीद के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल की खरीद का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 326 (छठा स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएम का उद्देश्य क्षेत्रफल के विस्तार और उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से चावल सहित खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना है। एनएफएसएम-चावल घटक 24 राज्यों और जम्मू व कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। एनएफएसएम-चावल के तहत, किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनियों, जारी की गई नई किस्मों/हाइब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि को लागू करना/उपकरण/ संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल संरक्षण उपकरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करते हैं। भारत सरकार द्वारा केवल सामान्य और ग्रेड-क किस्म की धान के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। धान की खरीद एमएसपी पर की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है और उन्हें मजबूरन बिक्री को रोका जा सके। तथापि, यदि किसी उत्पादक/किसान को एमएसपी की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है तो वह खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र होता है।

******